न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र संख्या ::— 37/2023

भंवरलाल श्री मांगीलाल जी जाति महाजन निवासी पारसोली तह0 बेगूँ
प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमति इन्द्रा पुत्री री कालूलाल महाजन निवासी पारसोली तह0 बेगूँ
2. श्रीमति कुसुमलता पुत्री कालूलाल जी जाति महाजन निवासी पारसोली तह0 बेगूँ
3. दिनेश कुमार पिता मांगीलाल महाजन निवासी पारसोली तह0 बेगूँ
4. नेमीचंद्र पिता संपतलाल महाजन निवासी पारसोली तह0 बेगूँ
5. प्रकाशचन्द्र पिता कालूलाल महाजन निवासी पारसोली तह0 बेगूँ
6. श्रीमति प्रेमबाई पुत्री कालूलाल महाजन निवासी पारसोली तह0 बेगूँ
7. पवनकुमार पिता संपतलाल महाजन निवासी पारसोली तह0 बेगूँ
8. मंजुदेवी पुत्री कालूलाल जी महाजन निवासी पारसोली तह0 बेगूँ
9. रमेशचन्द्र पिता कालूलाल जी महाजन निवासी पारसोली तह0 बेगूँ
10. श्रीमति ललिता पुत्री कालूलाल जी महाजन निवासी पारसोली तह0 बेगूँ

विपक्षीगण

उपस्थित ::— श्री सुरेशचन्द्र टेलर
अधिवक्ता प्रार्थी
श्री अनिल शर्मा
श्री एस.एन.माली
अधिवक्ता विपक्षीगण

आदेश दिनांक ::—30.05.2025

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा उक्त शीर्षक का एक वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जो कि प्रार्थी के पक्ष में अवश्य ही निर्णित होगा किन्तु उसके निर्णय में समय लगेगा इसलिए वाद निस्तारण तक विपक्षी सं0 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोके जाने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

यह कि ग्राम पारसोली पटवार हल्का पारसोली में कृषि आराजी संख्या 1232 क्षैत्रफल 1.0600 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के संयुक्त खाते में दर्ज है। उक्त कृषि आराजीयात पैत्रिक संपति है जो स्व. कालूलाल पिता जवानमल जी महाजन निवासी पारसोली के नाम दर्ज थी। यह कि स्व. कालूलाल जी की मृत्यु उपरांत उक्त भूमि का नामांतरण खुला जो प्रार्थी के पिता मांगीलाल, संपतलाल, प्रकाशचन्द्र, रमेशचन्द्र,श्रीमति कुसुमलता, प्रेम, मंजु, इन्द्रा, ललिता पिता कालूलाल के नाम दर्ज हुई जो संलग्न जमाबंदी संवत 2060—2063खतौनी संख्या 33 से स्पष्ट हैं।

यह कि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 10 का वंशवृक्ष वादपत्र में अंकित हैं। यह कि उक्त वंशवृक्ष के अनुसार उक्त कृषि आराजी का प्रार्थी भी उत्तराधिकारी होकर 1/18 हिस्से का स्वामी है किन्तु प्रार्थी के पिता की मृत्यु उपरांत जो नामान्तरण खोला गया उसमें प्रार्थी का नराम नहीं लगाया गया एवं अकेले विपक्षी प्रतिवादी संख्या 3 प्रार्थी के छोटे भाई के नाम नामांतरण किया गया जो संलग्न नामांतरण संख्या 1586दिनांक 30.6.2016 से स्पष्ट है। यह नामान्तरण प्रार्थी के पिता द्वारा दिनांक 7.9.2010 को वसीयत के आधार पर खोला गया।

यह कि उक्त नामातंरण संख्या 1586 विधि विरूद्ध होकर प्रार्थी के विरूद्ध शुन्य है क्यो कि प्रार्थी के पिता स्व. मांगीलाल जी द्वारा निष्पादित एवं पंजीकृत वसीयतनामा वर्णित तथ्यो से भिन्न संबंधित पटवारी ने मनमाना अर्थ निकालकर नामान्तरण खोला गया। वसीतयनामा की पृष्ठ संख्या के 3 के दुसरे पेरा में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वसीयतकर्ता अपनी स्वअर्जित चल अचल जायदाद जिसका मैं मालिक हूँ को वसीयत गृहिता दिनेश कुमार को वसीयत कर रहा हूँ। इस प्रकार वसीयतनामा से स्पष्ट है कि पैत्रिक संपति की वसीयसत नही की गई एवं कानूनन की भी नहीं जा सकती थी। वादपत्र के साथ संलग्न सभी राजस्व रेकार्ड से स्पष्ट है कि उक्त आराजी संख्या 1232 पैत्रिक संपति है। वसीयतनामा से प्रार्थी का हक एवं हिस्सा प्रार्थी के पिता द्वारा समाप्त नहीं किया गया था एवं न ही किया जा सकता था, क्यो कि वादी का जन्म से ही उक्त आराजी में विपक्षी प्रतिवादी संख्या 3 के बराबर हिस्सा निहित था जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता था।

यह कि उक्त नामांतरण संख्या 1586 से प्रार्थी का नाम बतौर उत्तराधिकारी लिखा ही नही गया इसलिये प्रार्थी का उक्त आराजी में विपक्षी प्रतिवादी संख्या 3 के बराबर ही हिस्सा दर्ज कराने

का अधिकारी होने से प्रार्थी का यह वादपत्र उक्त कृषि भूमि में 1/18हिस्सा दर्ज कराये जाने की घोषणा के लिये प्रस्तुत है। यह कि खाते मे वर्तमान में विपक्षी संख्या 3 का 1/9 हिस्सा दर्ज है इसलिये विपक्षी प्रतिवादी सं0 3 प्रार्थी को नुकसान पहूंचाने की गरज से भूमि को विकय करने पर उतारू है एवं जिसके लिये वह गांव में कई लोगो सेकह भी रहा है। जब प्रार्थी को इसका ज्ञान हुआ तो विपक्षी को ऐसा न करने के लिये कहा तो विपक्षी ने दिनांक 15.3.2023 को धमकी दी कि मै तो विकय करूंगा तुम्हे जो करना हो कर लेना इस प्रकार विपक्षी की धमकी देने पर प्रार्थी ने सारा राजस्व रेकार्ड एवं वसीयतनामा की नकल निकलवाई। प्रार्थी के हक एवं हिस्से की भूमि पर प्रार्थी काबीज है एवं उपयोग उपभोग कर रहा है। विपक्षी को प्रार्थी के हिस्से की भूमि को विकय या अनय किसी प्रकार से हस्तान्तरित करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन विपक्षी ने दिनांक 15.3.2023 को प्रार्थी को उक्त आशय की धमकी दी है इसलिये प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र विपखी को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने के लिये भी प्रस्तुत है कि विपक्षी कभी भी प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि का किसी को भी किसी प्रकार से हस्तांतरित नहीं करें। इस प्रकार प्रार्थी का प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष मे होना सिद्ध है।

यह कि विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया गया तो प्रार्थी अपने हक हिस्से की भूमि से वंचित हो जायेगा और इससे जो हानि प्रार्थी को होगी वह अपूर्तनीय हानि होगी। यह कि यदि विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो विपक्षी को किसी प्रकार की हानि होने वाली नहीं है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में होना सिद्ध है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जावे कि विपक्षी सं0 3 ग्राम व प0ह0 पारसोली की आराजी संख्या 1232 क्षैत्रफल 1.0600 हैक्टर भूमि में प्रार्थी के निहित हक हिस्से की भूमि को किसी को भी किसी प्रकार से विकय रहन, दान, वसीयत आदि से हस्तांतरित नहीं करें एवं कब्जा सुपुर्द नहीं करें।

प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रकरण में विपक्षी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल शर्मा ने अपना अधिकार पत्र मूलवाद पत्रावली में प्रस्तुत किया तथा विपक्षी संख्या 4, 2 व 4 से 10 तक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.एन.माली ने अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण में विपक्षीगण संख्या 1, 2 व 4 से 10 तक की ओर से ईकबालिया जवाब प्रस्तुत कर निवेदन विशेष कथन में किया कि प्रार्थना पत्र वर्णित आराजीयात में प्रार्थी भंवरलाल का भी 1/18 हिस्सा बनता है एवं हिस्सानुसार सभी अपनी अपनी जगह बैंठे है, और कृषि कार्य करते आ रहे है।

कि प्रार्थना पत्र वर्णित आराजीयात में प्रार्थी एवं विपक्षीग़ण की पैतृक सम्पत्ति है एवं उक्त आराजीयात पर सभी का हक अधिकार हैं। मुताबिक प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि हम विपक्षीगण 1,2 व 4 से 10 तक को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं हैं। विपक्षी संख्या 3 द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र निराधार होकर अवश्यक ही खारिज फरमाया जावेगा।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयात मौजा पारसोली तहसील बेगूँ की आराजी संख्या 1232 रकबा 1.06 हैक्टर भूमि विपक्षी संख्या 1 से 10 तक के सामलाती खातेदारी मे दर्ज रिकोर्ड होना स्वीकार है बकाया तथ्य गलत होकर अस्वीकार है। उक्त आराजीयात न तो प्रार्थी के नाम दर्ज है न ही प्रार्थी का उक्त कृषि आराजीयात पर कभी कब्जा काश्त रहा हैं। प्रार्थी ने बिना कब्जे के विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश किया है जो निरस्त किए जाने योग्य हैं।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 व 4 में वर्णित जानकारी के अभाव में असवीकार है। प्रार्थी स्वयं दस्तावेजी साक्ष्यो से प्रमाणित करावें। कलम संख्या 5 में वर्णित तथ्य गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 6 में वर्णित तथ्य गलत होकर अस्वीकार है। विवादित कृषि आराजीयात में मांगीलाल पिता कालुलाल महाजन का जो हक व हिस्सा था मांगीलाल जी ने अपने जीवनकाल में ही उक्त हक व हिस्से का प्रार्थी के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित कर विपक्षी संख्या 3 को अपना वसीयती उत्तराधिकारी नियुक्त कर दियां। मांगीलाल के स्वर्गवास के पश्चात मांगीलाल जी का हक व हिस्सा जरिए पंजीकृत वसीयतनामा विपक्षी संख्या 3 के नाम स्वीकृत हुआ है उसी अनुसार मांगीलाल के हक व हिस्से पर विपक्षी संख्या 3 काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। जिससे प्रार्थी को विपक्षी सं0 3 के नाम जो कि जरिए पंजीकृत वसीयत से प्राप्त हुई है की घोषणा कराए जाने का किसी प्रकार का अधिकार नहीं है।

यह कि प्रार्थना पत्र की वर्णित कलम संख्या 7 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। विवादित कृषि आराजीयात मांगीलल के सहखातेदारी मे दर्ज रेकार्ड रही है व मांगीलाल ने अपने जीवनकाल में विपक्षी 3 के पक्ष में पंजीकृत वसीयतनामा निष्पादित कर अपना उत्तराधिकारी कायम किया है व मांगीलाल के स्वर्गवास के पश्चात विववादित कृषि आराजीयात विपक्षी 3 के नाम जरिए नामान्तरण संख्या 1586 से दर्ज हुई है व विपक्षी संख्या 3 ही उक्त कृषि आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग

उपभोग करता चला आ रहा है जिससे प्रार्थी को बिना कब्जे के किसी प्रकार की घोषणा कराए जाने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 8 में वर्णित तथ्य गलत होकर अस्वीकार है। मांगीलाल जी ने विपक्षी संख्या 3 को जरिये पंजीकृत वसीयतनामा निष्पादित किया व उक्त पंजीकृत वसीयतनामा अनुसार नामान्तरण स्वीकृत हुआ है व उसी अनुसार विपक्षी सं03 उक्त कृषि आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। जिससे प्रार्थी को उक्त कृषि आराजीयात में किसी प्रकार की घोषणा कराए जाने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 9 में वर्णित तथ्य कि विवादित कृषि आराजीयात में विपक्षी संख्या 3 का 1/9 हक व हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। उक्त हक व हिस्सा पंजीकृत वसीयतनामा दर्ज हुआ है व पंजीकृत वसीयतनामे को प्रार्थी ने कभी चुनौती नहीं दी है ऐसी स्थिति में पंजीकृत वसीयतनामा अनुसार खातेदार के विरुद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। कलम संख्या 10 में वर्णित तथ्य गलत होकर अस्वीकार है। विपक्षी सं0 3 विवादित कृषि आराजीयात का सहखातेदार व कब्जेदार है। जिससे प्रार्थी को किसी प्रकार की पूरणीय क्षति होने की संभावना नहीं है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 11 वर्णित तथ्य गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है।

अतः निवेदन है कि विपक्षी संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाए जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थनापत्र का जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर बहस उभयपक्ष की ध्यानपूर्वक सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी वादी द्वारा न्यायालय आप में दावा इसी आराजी संख्या 1232 रकबा 1.0600 हैक्टर के लिए प्रस्तुत किया है। वर्णित कृषि आराजीयात प्रतिवादी सं0 1 से 10 तक के नाम दर्ज है। उक्त कृषि आराजीयात पैत्रिक सम्पत्ति है। कृषि आराजी कालू पुत्र जवानमल महाजन के नाम से है। सजरे के अनुसार प्रार्थी का 1/18 हिस्सा उनके पिता की मृत्यु के पश्चात पैत्रिक कृषि भूमि होने से बनता है तथा उक्त हिस्से पर प्रार्थी काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। उक्त कृषि आराजीयात में प्रार्थी के छोटे भाई के नाम पर ही वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण खोला गया है, जबकि पैत्रिक सम्पत्ति की वसीयत नहीं की जा सकती हैं। खोला गया नामान्तरण विधि विरुद्ध है। प्रार्थी ने अपने हिस्से की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया है , जबकि विपक्षी संख्या 3 का नाम खाते में होने से भूमि को वह खुर्द कर देने के लिए आमदा है। अतः मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षी संख्या 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमावें कि वे वर्णित कृषि भूमि को खुर्द बुर्द नहीं करें।

बहस में अधिवक्ता विपक्षी सं0 3 ने निवेदन अपने जवाब अनुसार ही करते हुए निवेदन किया कि विपक्षीगण का ईकबालिया जवाब नहीं है। विपक्षी सं0 3 के पक्ष में पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर ही नामान्तरण खोला गया है उक्त वसीयत को प्रार्थी ने कभी चेलेन्ज नहीं किया है। प्रार्थी का कब्जा कृषि भमि पर नहीं है, विपक्षी स0 3 का ही कब्जा है। प्रार्थी स्वयं अपने पिता से अलग हुआ है। स्वअर्जित सम्पत्ति की वसीयत है पैत्रिक सम्पत्ति की नहीं है। वसीयत दिनांक 7.9.2010 को निष्पादित हुई है प्रार्थी वर्ष 2010 से लेकर वर्ष 2023 तक न्यायालय में क्यो नहीं आये? खातेदार के विरुद्ध किसी प्रकार से कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं की जा सकती है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होते है। और ना ही अपूर्तनीय क्षति प्रार्थी को हो रही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

बहस उभयपक्ष की ध्यानपूर्वक सुने जाने के पश्चात हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट एवं प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज का गहन अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु मुख्य तीन बिन्दु पर निस्तारण करना होता है। जो प्रकरण मे प्रस्तुत सभी दस्तावेज का उल्लेख कर निस्तारण निम्न प्रकार से किया जाता है:-

1- <u>प्रथम दृष्टया मामला</u> :-

पत्रावली मे प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा पारसोली की संवत 2078 के खाता संख्या 120 मे दर्ज आराजी संख्या 1232 रकबा 1.0600 हैक्टर भूमि के खातेदार इन्द्रा पुत्री कालूलाल का हिस्सा 1/9, कुसुमलता पुत्र कालूलाल का हिस्सा 1/9, दिनेश पुत्र मांगीलाल का हिस्सा 1/9, नेमीचंद्र पुत्र सम्पतलाल का हिस्सा 1/18, प्रकाशचन्द्र पुत्र कालूलाल का हिस्सा 1/9, प्रेम पुत्री कालूलाल का हिस्सा 1/9, पवनकुमार पुत्र सम्पतलाल का हिस्सा 1/18, मन्जु पुत्री कालूलाल का हिस्सा 1/9, रमेशचन्द्र पुत्र कालूलाल का हिस्सा 1/9, ललिता पुत्री कालूलाल का हिस्सा 1/9 दर्ज अंकित है। प्रार्थी भंवरलाल पुत्र मांगीलाल का हिस्सा नहीं है हाकर मांगीलाल का पूर्ण हिस्सा विपक्षी

सं0 3 दिनेश के नाम पर दर्ज है। पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा पारसोली की सम्वत 2044 से 47 तक का अवलोकन किया गया, उक्त वर्णित कृषि आराजीयात संख्या 1232 रकबा 1.0600 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री कालू लाल पिता जवानमल महाजन के नाम पर दर्ज अंकित है। प्रस्तुत जमाबंदी से वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी एवं विपक्षी सं0 3 की पैत्रिक कृषि भूमि होना साबित होता है। प्रस्तुत नक़ल नामान्तरण सं0 1586 जो कि रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर विपक्षी संख्या 3 निदेश कुमार के नाम पर खोला गया है, वसीयतनामा की छायाप्रति भी पत्रावली में प्रस्तुत की गई है जिसका अवलोकन भी हमारे द्वारा किया गया है, साथ ही शोक निवारण पत्रिका का अवलोकन किया जिसमें मांगीलाल जी की मृत्यु होने पर उक्त शोक पत्रिका में भंवरलाल व दिनेश कुमार का नाम अंकित है। प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि भूमि पैत्रिक सम्पत्ति है अथवा नहीं है, क्यो पैत्रिक कृषि आराजी की वसीयत की की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, क्यो प्रार्थी उक्त कृषि भूमि में पैत्रिक कृषि भूमि में उनका निहित हिस्सा की घोषणा करा पाने के अधिकारी पाये जाते है अथवा नहीं, यह सभी तथ्य मूल वाद साक्ष्य सबूत के आधार परं निस्तारित किये जावेगें। नकल जमाबंदी संवत 2044 से वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी एवं विपक्षी सं0 3 की पैत्रिक भूमि होना प्रतीत होता है। यदि विपक्षी सं0 3 द्वारा उनका नाम खाते में अंकित होने से भूमि को विक्रय कर दिया जाता है तो निश्चित ही प्रार्थी का इस न्यायालय में दावा लाना निराधार हो जाता हैं। प्रार्थी विपक्षी सं0 3 को वर्णित कृषि भूमि पैत्रिक भूमि होने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी पाये जाते हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है।

2– <u>सुविधा का संतुलन</u> :–

पत्रावली मे प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा पारसोली की संवत 2078 के खाता संख्या 120 मे दर्ज आराजी संख्या 1232 रकबा 1.0600 हैक्टर भूमि जो कि पैत्रिक कृषि भूमि होना पत्रावली में विपक्षी संख्या 1,2 व 4 से 10 तक द्वारा उनके ईकबालिया जवाब में अंकित करते हुए प्रार्थी का उक्त कृषि भूमि पर उनके निहित हक हिस्से पर कब्जा होकर उपयोग उपभोग किये जाने का तथ्य अंकित किया है, जबकि विपक्षी संख्या 3 प्रार्थी के कब्जा नहीं होने के कथन को सिद्ध नहीं करा पाये है। इस प्रकार वर्णित कृषि भूमि पर प्रार्थी का कब्जा होकर उपयोग उपभोग किए जाने से यदि विपक्षी द्वारा भूमि को खुर्द बुर्द किया जाता है तो निश्चित प्रार्थी को आर्थिक क्षति होती है। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध है।

3– <u>अपूर्णनीय क्षति</u> ::–

प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि भूमि मौजा पारसोली की आराजी संख्या 1232 रकबा 1.0600 हैक्टर भूमि जो कि प्रार्थी की पैत्रिक कृषि भूमि होना अंकित किया है तथा प्रार्थी का निहित हक हिस्से पर कब्जा काश्त होकर भूमि का वह उपयोग उपभोग भी करना विपक्षी सं0 1,2 व 4 से 10 तक द्वारा अपने जवाब में दर्शाया है, प्रार्थी का उक्त कृषि भूमि में नाम अंकित नहीं है जिसके लिए उनके द्वारा इस न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया है। कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम उनके निहित हक हिस्से पर न होकर स्व. मांगीलाल जी के सम्पूर्ण हिस्से पर विपक्षी सं0 3 दिनेश कुमार का नाम अकित है यदि विपक्षी सं0 3 द्वारा उनका नाम होने भूमि को खुर्द बुर्द कर दिया जाता है या विक्रय कर दिया जाता है। तो निश्चित ही प्रार्थी को आर्थिक क्षति होती है। इस प्रकार यह बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु मुख्य तीनो बिन्दु दस्तावेजी साख्य सबूत के आधार पर प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध हो जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 3 दिनेश कुमार पिता मांगीलाल महाजन नि0 पारसोली के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा मूलवाद के अंतिम निस्तारण जारी की जाती है कि वे ग्राम व प0ह0 पारसोली की आराजी संख्या 1232 क्षैत्रफल 1.0600 हैक्टर भूमि में प्रार्थी के निहित हक हिस्से की भूमि को किसी को भी किसी प्रकार से विक्रय रहन, दान, वसीयत आदि से हस्तांतरित नहीं करें एवं न अन्य को कब्जा सुपुर्द नहीं करें।

आदेश आज दिनांक 30.05.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ